



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16062023-246601
CG-MH-E-16062023-246601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]
No. 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 15 जून, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:
परंतु यह कि विनियम 23 में किए गए संशोधन 1 नवम्बर, 2023 से लागू होंगे:
परंतु यह और कि विनियम 4 में किए गए संशोधन उस तारीख को लागू होंगे, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाए।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

i) खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(छक) “कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि” का अर्थ है – ऐसी आनुकल्पिक निवेश (विनिधान) निधि, जो इन विनियमों के अध्याय III-ग के अनुसार बनाई गई हो और निवेश कर रही हो।”

ii) खंड (तक) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(तख) “परिसमापन की अवधि” का अर्थ है - स्कीम की अवधि या बढ़ाई गई अवधि पूरी होने के बाद की एक वर्ष की अवधि, जिसके दौरान आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम का पूरी तरह से परिसमापन (लिक्विडेशन) किया जाएगा।

(तग) “परिसमापन की स्कीम” का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) द्वारा लाई गई वह ‘सीमित अवधि वाली स्कीम’, जिसका उद्देश्य केवल उसकी स्कीम (जिसकी अवधि पूरी हो गई हो) से वह निवेश खरीदकर बेचना हो जिसे बेचा न जा सका हो।”

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) इन विनियमों के विनियम 19 के तहत निर्धारित की गई आनुकल्पिक निवेश निधि।”

III. विनियम 4 में, खंड (छ) में,

i) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(i) कम से कम एक मुख्य व्यक्ति के पास वह संबंधित प्रमाणपत्र हो, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए; और”

ii) परंतुक में, शब्द “अनुभव तथा व्यावसायिक योग्यता के संबंध में” हट जाएँगे;

iii) परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि मौजूदा प्रमाणपत्र की मान्यता कि अवधि समाप्त होने से पहले ही एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा, ताकि इस संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित होता रहे।”

IV. विनियम 10 में, खंड (क) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(कक) आनुकल्पिक निवेश निधि यूनितेड डीमैट रूप में जारी करेगी, हालाँकि इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन अवश्य किया जाए।”

V. विनियम 13 में, उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(6) उप-विनियम (5) के अनुसार यूनितधारकों की सहमति न मिलने पर या बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो जाने पर, आनुकल्पिक निवेश निधि को या आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम को इन विनियमों के विनियम 29 के अनुसार बंद (वाइंड-अप) कर दिया जाएगा।”

VI. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ङक) पचहत्तर प्रतिशत निवेशकों (उनके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार) की मंजूरी के बिना और बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना, आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम -

(क) सहयोगियों (सहयुक्त/असोसिएट्स) से या को; या

(ख) अपने प्रबंधक, प्रायोजक अथवा अपने प्रबंधक या प्रायोजक के सहयोगियों द्वारा प्रबंधित या प्रायोजित आनुकल्पिक निवेश निधियों की स्कीमों से या को; या

(ग) जिस निवेशक ने आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के कॉर्पस का कम से कम पचास प्रतिशत निवेश करने का वचन दिया हो, उस निवेशक से या को,

निवेश न तो खरीदेगी और न ही बेचेगी:

परंतु यह कि निवेशकों की मंजूरी लेते समय उस निवेशक को मतदान की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, जिसका जिक्र उप-खंड (ग) में किया गया है, जिसने आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के कॉर्पस का कम से कम पचास प्रतिशत निवेश करने का वचन दिया हो और जो आनुकल्पिक निवेश निधि से निवेश खरीद रहा हो या को निवेश बेच रहा हो।"

VII. अध्याय - III-ख के बाद, निम्नलिखित नया अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय - III-ग

कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि

लागू होना

19ड. (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के मामले में ही लागू होंगे।

(2) जब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो, तब तक वे कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि, उसके प्रायोजक, प्रबंधक, न्यासी (ट्रस्टी) और निवेशकों पर लागू होंगे, लेकिन इन अन्य प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान और इन विनियमों के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) शामिल नहीं हैं:

- i. विनियम 9 का उप-विनियम (2);
- ii. विनियम 10 के खंड (क), (ग), (घ), और (च);
- iii. विनियम 12 के उप-विनियम (2) और (3);
- iv. विनियम 13 के उप-विनियम (1), (2), (3), (5) और (6);
- v. विनियम 14, 16, 17, 18, 19, अध्याय-III-क और अध्याय-III-ख, 23;
- vi. विनियम 15 का उप-विनियम (1);
- vii. विनियम 20 का उप-विनियम (15);
- viii. विनियम 29 के उप-विनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग);
- ix. विनियम 29 के उप-विनियम (2), (3), (4) और (8)।

कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का रजिस्टर होना

19ण. (1) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का गठन एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में किया जाएगा, और जिसके लिए बनाया गया न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत् रूप से रजिस्टर करवाना होगा।

(2) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि इन विनियमों के अध्याय-II के प्रावधानों के अनुसार आनुकल्पिक निवेश निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन करेगी।

(3) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का प्लेसमेंट मेमोरैन्डम बोर्ड के पास दाखिल किया जाएगा।

(4) बोर्ड निधि (फंड) शुरू किए जाने से पहले प्रबंधक को अपनी टिप्पणियों (यदि कोई हों) से अवगत करा सकेगा, और प्रबंधक निधि (फंड) शुरू किए जाने से पहले उन टिप्पणियों के अनुसार प्लेसमेंट मेमोरैन्डम में बदलाव आदि करेगा।

(5) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि एक ऐसी सीमित अवधि वाली निधि (फंड) होगी, जिसकी अवधि उसके पहली बार बंद होने की तारीख से पंद्रह वर्षों की होगी:

परंतु यह कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेकर उसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

(6) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि को बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेकर बंद (वाइंड-अप) किया जाएगा।

कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि में निवेश

19त. (1) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की यूनिटों का प्रस्ताव (ऑफर) आस्ति प्रबंध कंपनियों (असेट मैनेजमेंट कंपनी) {जिनकी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [म्यूचुअल फंड संबंधी विनियमों] में दी हुई है} को और म्यूचुअल फंडों की निर्धारित ऋण-उन्मुख स्कीमों (डेट ओरिएन्टेड स्कीम) को किया जाएगा।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनियों और म्यूचुअल फंडों की निर्धारित ऋण-उन्मुख स्कीमों द्वारा निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 (म्यूचुअल फंड संबंधी विनियमों) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) प्रबंधक या प्रायोजक को कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि में कम से कम पाँच करोड़ रुपये का निवेश हमेशा करके रखना होगा, और इस पाँच करोड़ रुपये की रकम में, उसकी प्रबंधन फीस (मैनेजमेंट फीस) की रकम नहीं जोड़ी जाएगी।

कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए निवेश की शर्तें

19थ. (1) जब बाजार में असामान्य स्थिति हो, तब कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि म्यूचुअल फंडों की निर्धारित ऋण-उन्मुख स्कीमों से वे कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) खरीदेगी, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरी उतरती हों:

- (क) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (कारपोरेट डेट सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टेड) हों और उन्हें निवेश योग्य श्रेणी की रेटिंग मिली हुई हो;
- (ख) ऐसी प्रतिभूतियों की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की शेष अवधि उन्हें खरीदे जाने की तारीख से पांच वर्षों से अधिक की न हो;
- (ग) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में न तो ऐसी खबरें आ रही हों और न ही ऐसी राय दी जा रही हो कि उनमें चूक (डिफॉल्ट) होने या उनकी साख (क्रेडिट) गिरने की संभावना काफी ज्यादा है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड स्वयं द्वारा निर्धारित किए गए पैमानों के आधार पर यह तय करेगा कि बाजार में असामान्य स्थिति कब आई है और कब बाजार बहाल हो गया है।

(2) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि उसी अनुपात में कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगी जिस अनुपात में म्यूचुअल फंड के स्तर पर उसमें निवेश किया गया हो और ऐसा बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि पात्र प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [जिनका जिक्र इस विनियम के उप-विनियम (1) में किया गया है] को उनकी परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की अवधि पूरी होने तक अपने पास रखेगी या बाजार के बहाल हो जाने पर उन्हें द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) में उसी प्रकार बेचेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(4) जब बाजार सामान्य हो उस समय, कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि उन ऋण लिखतों (डेट इंस्ट्रुमेंट्स) में निवेश करेगी, जिनमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता हो और जिनमें जोखिम भी कम हो, और कारपोरेट ऋण बाजार (डेट मार्केट) से संबंधित ऐसा कोई अन्य कार्य भी करेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(5) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के जोखिम, ब्याज दर के जोखिम और ऋण-जोखिम (क्रेडिट रिस्क) को हिसाब में लेकर उचित मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) खरीदेगी, न की गिरे हुए भाव पर।

(6) जब बाजार में स्थिति असामान्य हो, उस दौरान जो कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि को कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ बेचेंगे उन्हें जो भी नुकसान होगा वह आनुकल्पिक निवेश निधि में दूसरे यूनितधारकों की होल्लिंग की तुलना में उनकी अपनी आनुपातिक होल्लिंग से ज्यादा हो सकता है।

(7) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि भारत के बाहर बनी कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेगी।

(8) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि जिन कंपनियों में निवेश करे, उनमें से किसी एक कंपनी में उसके द्वारा जितनी रकम निवेश की जाए वह निवेश के समय उसकी निधि की पूंजी (फंड कैपिटल) के पाँच प्रतिशत से अधिक की न हो:

परंतु यह कि किसी एक निर्गमकर्ता समूह (इश्युअर ग्रुप) [जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 (म्यूचुअल फंड संबंधी विनियम) में निर्धारित किया गया है] की कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में कुल मिलाकर किया जाने वाला निवेश, निवेश के समय उसकी निधि की पूंजी (फंड कैपिटल) के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक का न हो।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, 'निधि की पूंजी' (फंड कैपिटल) का अर्थ होगा - निधि (फंड) के कॉर्पस और इस विनियम के उप-विनियम (9) के अनुसार अधिकतम अनुमत उधार की रकम का कुल योग।

(9) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि अपने कॉर्पस के दस गुना तक की रकम उन शर्तों पर उधार ले सकेगी, जो भारत सरकार के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

(10) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की आस्तियों (असेट्स) का मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया एवं पद्धति के संबंध में वही मानदंड लागू होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 (म्यूचुअल फंड संबंधी विनियम) के तहत म्यूचुअल फंड की स्कीमों के संबंध में लागू होते हैं।

(11) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की आस्तियों (असेट्स) का वितरण उनके मौजूदा रूप में यूनितधारकों को, केवल बंद (वाइंड-अप) किए जाने के समय किया जा सकेगा, बशर्ते कि इसके लिए पचहत्तर प्रतिशत यूनितधारकों (ऐसी निधि में उनके निवेश के मूल्य के अनुसार) की सहमति मिल जाए।

(12) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की निवेश नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी।

जानकारी आदि देना

19द. (1) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के पोर्टफोलियो की जानकारी यूनितधारकों को हर पंद्रह दिनों में दी जाएगी।

(2) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू / एन.ए.वी.) यूनितधारकों को दैनिक आधार पर बताया जाएगा।

कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड) का संचालन कैसे होगा

19ध. (1) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि एक न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी नियुक्त करेगी।

(2) न्यासी कंपनी के निदेशक मंडल की और कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के प्रबंधक की नियुक्ति बोर्ड की मंजूरी लेकर की जाएगी।

(3) न्यासी कंपनी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियाँ वैसी ही होंगी, जैसी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार न्यासियों की हैं।

(4) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की न्यासी कंपनी कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के न्यासी के रूप में कार्य करने के अलावा और कोई कार्य तब तक नहीं करेगी, जब तक कि वह बोर्ड से इसके लिए पहले लिखित अनुमति न ले ले:

परंतु यह कि न्यासी कंपनी द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य कार्य (जिसकी अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई हो) का कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के न्यासी के तौर पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कोई हित-विरोध न हो।

(5) न्यासी कंपनी के निदेशक मंडल में दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, और जिनका प्रायोजक या प्रबंधक से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं होगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को न तो शुरुआत में और न ही उसके बाद कभी भी कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की न्यासी कंपनी के निदेशक के रूप में बोर्ड से पूर्व मंजूरी लिए बिना नियुक्त किया जाएगा।

(7) न्यासी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) का गठन किया जाएगा, ताकि इस बात की समीक्षा की जा सके कि इन विनियमों के अनुसार प्लेसमेंट मेमोरैंडम के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दूसरी जिम्मेदारियों को निभाया जा रहा है या नहीं।

(8) कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का प्रबंधक एक संचालन समिति (गवर्नेंस कमेटी) को नियुक्त करेगा।

(9) संचालन समिति में कारपोरेट बॉण्ड बाजार के विशेषज्ञ शामिल होंगे, जैसे इसमें शिक्षाविद् होंगे, निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) या मुख्य निवेश अधिकारी होंगे, और इसमें ऐसे विशेषज्ञ भी होंगे जो जोखिम को कम करने का कार्य कर रहे हों तथा इसमें ऐसे बाहरी विशेषज्ञ भी होंगे जिन्हें बाजार की अच्छी समझ हो।

(10) संचालन समिति, प्रबंधक के बोर्ड और न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के बोर्ड के साथ मिलकर, कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की नीतियों को मंजूरी प्रदान करेगी।

(11) संचालन समिति कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की गतिविधियों पर नज़र रखेगी, खासकर इस बात पर नज़र रखेगी कि यदि कोई हित-विरोध का मामला है तो उससे सही तरह से निपटा जा रहा है या नहीं।

(12) संचालन समिति, बाजार में असामान्य स्थिति के दौरान इस बात पर नज़र रखेगी कि आस्तियों (असेट) और देनदारियों (देयताओं/लायबिलिटी) में असंतुलन पैदा होने पर उसमें सही तरह से संतुलन बिठाया जा रहा है या नहीं।

सूचीबद्धता (लिस्टिंग) पर रोक

19न. कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की यूनिटें किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) नहीं कराई जाएंगी।

अन्य

19प. (1) इन विनियमों के अध्याय-III-ग के प्रावधान कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के बंद (वाइंड अप) हो जाने के बाद लागू नहीं रहेंगे।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का प्रबंधक उन सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार रहेगा, जो भी उसके निवेश प्रबंधन की वजह से उत्पन्न हुई हों।”

VIII. विनियम 20 में, उप-विनियम (16) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(17) प्रबंधक एक अनुपालन अधिकारी को नियुक्ति करेगा, जो इस बात पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों या बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले किन्हीं अन्य निदेशों का पालन किया जाए।

(18) अनुपालन अधिकारी पात्रता संबंधी उन मानदंडों को पूरा करेगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए जाएं।

(19) यदि अनुपालन अधिकारी को यह पता चलता है कि कहीं किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में वह उसकी जानकारी बोर्ड को यथा संभव जल्द से जल्द और स्वतंत्र रूप से देगा, और किसी भी हालत में उसे पता चलने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर देगा।”

IX. विनियम 23 में,

- i) उप-विनियम (1) में, शब्दों “आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि” के बाद, शब्द और चिह्न “अपने निवेश का मूल्यांकन उसी प्रकार करेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, और” जोड़े जाएंगे;
- ii) उप-विनियम (3) में, शब्दों “प्रकट किया जायेगा” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा, और निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

परंतु यह कि शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) की गणना करने के लिए, प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ, असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) में उनके द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकन, किसी स्वतंत्र मूल्यांकक से करवाएंगी।”

- iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(4) प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि आनुकल्पिक निवेश निधि एक ऐसे स्वतंत्र मूल्यांकक को नियुक्त करे, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करता हो।

(5) प्रबंधक और प्रबंधक के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वतंत्र मूल्यांकक आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के निवेशों की गणना और उसका मूल्यांकन उसी प्रकार करे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(6) आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के निवेशों के सही और निष्पक्ष मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी:

परंतु यह कि यदि मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई नीतियों और क्रियाकलापों की वजह से सही ढंग से मूल्यांकन न हो पा रहा हो, तो ऐसे में प्रबंधक आस्तियों (असेट्स) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए पहले से निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव करेगा और यह बदलाव क्यों किया गया है इसके तर्क को रिकॉर्ड करके रखेगा:

परंतु यह और कि इस प्रकार किए गए बदलाव और इस बदलाव के तर्क की जानकारी आनुकल्पिक निवेश निधि के न्यासी या उसकी न्यासी कंपनी या उसके निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या नामनिर्दिष्ट (अभिहित) भागीदारों को तथा आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेशकों को दी जाएगी।”

X. विनियम 29 में,

- i) उप-विनियम (7) में,
 - क) शब्दों, अंकों और चिह्नों “विनियम 29 के उप-विनियम (5) के अधीन सूचना की तारीख से एक वर्ष” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “परिसमापन (लिक्विडेशन) की अवधि” आ जाएंगे; और
 - ख) शब्दों और चिह्नों “आनुकल्पिक निवेश (विनिधान) निधि” के बाद, शब्द “या आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम” जोड़े जाएंगे।
- ii) उप-विनियम (8) में,
 - क) शब्दों और चिह्नों “स्थानन ज्ञापन या अंशदान करार या अभिदान करार में अंतर्विष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन, आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि की आस्तियों का नकद रूप में वितरण, आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि द्वारा किसी भी समय किया जायेगा” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्लेसमेंट मेमोरैंडम या अंशदान करार (कंट्रिब्यूशन एग्रीमेंट) या अभिदान करार (सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट) में दी गई शर्तों (यदि कोई हों) के तहत, आनुकल्पिक निवेश निधि

द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम की आस्तियों (असेट्स) का उनके मौजूदा रूप में वितरण, निवेशकों की इच्छा के अनुसार, किसी भी समय किया जा सकेगा” आ जाएंगे।

ख) शब्दों और चिह्नों “जिसमें आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि के परिसमापन पर भी सम्मिलित है, विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के अधिमान के अनुसार” के स्थान पर शब्द और चिह्न “जिसमें आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के बंद (वाइंड-अप) के समय वितरण करना भी शामिल है” आ जाएंगे।

ग) शब्दों और चिह्नों “आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि में विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के विनिधान (निवेश) के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) का अनुमोदन अभिप्रास करने के पश्चात्” के स्थान पर शब्द “बशर्ते कि ऐसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार किया जाए” आ जाएंगे।

iii) उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (9) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(9) उप-विनियम (7) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, स्कीम की परिसमापन (लिक्विडेशन) की अवधि के दौरान, आनुकल्पिक निवेश निधि स्कीम द्वारा किए गए उस निवेश को उसके मौजूदा रूप में ही निवेशकों में वितरित कर सकेगी जिसे अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के अभाव में बेचा न जा सका हो या ऐसे निवेश को परिसमापन की स्कीम को बेच सकेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशकों (उनके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार) निवेशकों की मंजूरी लेनी होगी, उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों के अनुसार जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं:

परंतु यह कि परिसमापन की अवधि के दौरान यदि यूनिटधारक उप-विनियम (9) के तहत दिए गए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी सहमति नहीं देते, तो ऐसे में आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम के निवेश के संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

iv) मौजूदा उप-विनियम (9) की संख्या (10) हो जाएगी।

XI. विनियम 29 के बाद और विनियम 30 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परिसमापन की स्कीम

29क. (1) आनुकल्पिक निवेश निधि परिसमापन की स्कीम ला सकेगी, लेकिन इसके लिए उसे बोर्ड के पास प्लेसमेंट मेमोरंडम दाखिल करना होगा।

(2) विनियम 10(ख), विनियम 10(ग), विनियम 12, विनियम 13(1), विनियम 13(2), विनियम 13(4), विनियम 13(5), विनियम 15, विनियम 16, विनियम 17, विनियम 18, विनियम 19(1), विनियम 19(2), विनियम 19(3), विनियम 29(7) और विनियम 29(9) में जिन अपेक्षाओं का जिक्र है, वे आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम के मामले में लागू नहीं होंगी।

(3) आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम का प्लेसमेंट मेमोरंडम बोर्ड के पास मर्चेन्ट बैंकर के जरिए दाखिल किया जाएगा, जिसके साथ उतनी फीस भी अदा करानी होगी जिनका जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है।

(4) आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम की अवधि बोर्ड के पास प्लेसमेंट मेमोरंडम दाखिल करते समय उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों पर तय कर दी जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(5) आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

(6) आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम किसी भी निवेशक से न तो निवेश के संबंध में कोई नया वचन स्वीकार करेगी और न ही कोई नया निवेश करेगी।

(7) आनुकल्पिक निवेश निधि की परिसमापन की स्कीम के जो निवेश उसकी अवधि समाप्त होने तक अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के अभाव में बेचे न जा पा सके हों, उनके संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

- XII. पहली अनुसूची में, प्ररूप-क में, खंड-1 में, उप-खंड (ड) में, शब्दों और अंक “प्रवर्ग III आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि” के बाद, अंक, शब्द और चिह्न “9. वह आनुकल्पिक निवेश निधि, जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 19 में किया गया है: कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि” जोड़े जाएंगे।
- XIII. दूसरी अनुसूची में, भाग-क में, शब्दों, चिह्नों और अंकों “एंजल निधियों के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस - ₹2,00,000” के बाद, शब्द, चिह्न और अंक “कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस (वह आनुकल्पिक निवेश निधि, जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 19 में किया गया है): ₹5,00,000” जोड़े जाएंगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./194/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
 - (ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
 - (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
 - (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
 - (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
 - (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
 - (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
 - (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
 - (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा

- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा
- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th June, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the amendments in Regulation 23 shall come into force with effect from November 1, 2023:

Provided further that the amendments in Regulation 4 shall come into force on such date as the Board may by notification in the Official Gazette appoint.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. In regulation 2, in sub-regulation (1),

- i) after clause (g), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(ga) “Corporate Debt Market Development Fund” means an Alternative Investment Fund set up and making investments in terms of Chapter III-C of these regulations.”

- ii) after clause (pa), the following new clauses shall be inserted, namely, -

“(pb) “liquidation period” means a period of one year following the expiry of tenure or extended tenure of the scheme for fully liquidating the scheme of an Alternative Investment Fund.

(pc) “Liquidation scheme” means a close ended scheme launched by an Alternative Investment Fund only for the purpose of liquidating the unliquidated investments purchased from its scheme, whose tenure has expired.”

- II. In regulation 3, in sub-regulation (4), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(d) specified Alternative Investment Fund under Regulation 19 of these regulations.”
- III. In regulation 4, in clause (g),
- i) sub-clause (i) shall be substituted with the following, namely, -
- “(i) at least one key personnel with relevant certification as may be specified by the Board from time to time; and”
- ii) in the proviso, the words “of experience and professional qualification” shall be omitted;
 - iii) after the proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -
- “Provided further that a fresh certification shall be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with the certification requirement.”
- IV. In regulation 10, after clause (a), the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(aa) The Alternative Investment Fund shall issue units in dematerialised form subject to the conditions specified by the Board from time to time.”
- V. In regulation 13, sub-regulation (6) shall be substituted with the following, namely, -
- “(6) In the absence of consent of unit holders under sub-regulation (5) or upon expiry of the extended tenure, the Alternative Investment Fund or the scheme of the Alternative Investment Fund shall be wound up in accordance with Regulation 29 of these regulations.”
- VI. In regulation 15, in sub-regulation (1), after clause (e), the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(ea) Except with the approval of seventy five percent of the investors by value of their investment in the scheme of Alternative Investment Fund and subject to the conditions specified by the Board, a scheme of an Alternative Investment Fund shall not buy or sell investments, from or to -
- (a) associates; or
 - (b) schemes of Alternative Investment Funds managed or sponsored by its Manager, Sponsor or associates of its Manager or Sponsor; or
 - (c) an investor who has committed to invest at least fifty percent of the corpus of the scheme of Alternative Investment Fund:
- Provided that while obtaining approval of the investors, the investor specified under sub-clause (c) who has committed to invest at least fifty percent of the corpus of the scheme of Alternative Investment Fund and is buying or selling the investment, from or to, the Alternative Investment Fund, shall be excluded from the voting process.”
- VII. After Chapter III-B, the following new chapter shall be inserted, namely, -
- CHAPTER III-C**
- CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND**
- Applicability.**
- 19N. (1) The provisions of this Chapter shall apply only to the Corporate Debt Market Development Fund.
- (2) All other provisions of these regulations, except the following provisions and the guidelines and circulars issued under these regulations, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this Chapter, shall apply to the Corporate Debt Market Development Fund, its sponsor, manager, trustee and investors:

- i. sub regulation (2) of regulation 9;
- ii. clauses (a), (c), (d), and (f) of regulation 10;
- iii. sub regulations (2) and (3) of regulation 12;
- iv. sub regulations (1), (2), (3), (5) and (6) of regulation 13;
- v. regulations 14, 16, 17, 18, 19, Chapter III-A and III-B, 23;
- vi. sub regulation (1) of regulation 15;
- vii. sub regulation (15) of regulation 20;
- viii. clause (a), (b) and (c) of sub regulation (1) of regulation 29;
- ix. sub regulations (2),(3), (4) and (8) of regulation 29.

Registration of the Corporate Debt Market Development Fund.

19O. (1) The Corporate Debt Market Development Fund shall be constituted in the form of a Trust and the instrument of Trust shall be in the form of a deed duly registered under the provisions of the Indian Registration Act, 1908.

(2) The Corporate Debt Market Development Fund shall apply for registration as an Alternative Investment Fund in accordance with the provisions of Chapter II of these regulations.

(3) The placement memorandum of the Corporate Debt Market Development Fund shall be filed with the Board.

(4) The Board may communicate its comments, if any, to the Manager prior to the launch of the fund and the Manager shall incorporate the comments in the placement memorandum prior to the launch of the fund.

(5) The Corporate Debt Market Development Fund shall be a close ended fund, with a tenure of fifteen years from the date of its first closing:

Provided that the tenure may be extended with the prior approval of the Board.

(6) The Corporate Debt Market Development Fund shall be wound up with the prior approval of the Board.

Investment in the Corporate Debt Market Development Fund.

19P. (1) The units of the Corporate Debt Market Development Fund shall be offered to the Asset Management Companies as defined under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the specified debt-oriented schemes of mutual funds.

(2) The investment by the Asset Management Companies and the specified debt-oriented schemes of the mutual funds shall be in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(3) The Manager or Sponsor shall have a continuing interest in the Corporate Debt Market Development Fund of not less than five crore rupees in the form of investment in the fund but such continuing interest shall not be through the waiver of management fees.

Investment conditions for the Corporate Debt Market Development Fund.

19Q. (1) During periods of market dislocation, the Corporate Debt Market Development Fund shall purchase corporate debt securities from the specified debt-oriented schemes of mutual funds which meet the following eligibility criteria:

- (a) corporate debt securities shall be listed and have an investment grade rating;
- (b) the residual maturity of such securities shall not exceed five years on the date of purchase;
- (c) securities where there is no material possibility of default or adverse credit news or views.

Explanation: For the purpose of sub regulation (1) of this regulation, the Board shall decide the trigger of market dislocation and its reversal based on the parameters as may be specified by the Board.

(2) The Corporate Debt Market Development Fund shall purchase corporate debt securities in proportion to the contribution made in it at a mutual fund level and in accordance with detailed guidelines as may be approved by the Board.

(3) The Corporate Debt Market Development Fund shall hold eligible securities as mentioned in sub regulation (1) of this regulation, till maturity or sell the same in the secondary market upon reversal of market dislocation, in the manner as specified by the Board from time to time.

(4) Other than market dislocation period, the Corporate Debt Market Development Fund shall invest in liquid and low-risk debt instruments and undertake any other activity related to corporate debt market, as may be specified by the Board from time to time.

(5) The Corporate Debt Market Development Fund shall buy corporate debt securities at fair price adjusted for liquidity risk, interest rate risk and credit risk but not at distress prices.

(6) The sharing of loss by the sellers of corporate debt securities to the Corporate Debt Market Development Fund during periods of market dislocation may be higher than their pro rata holding in the Alternative Investment Fund vis-à-vis other unit holders.

(7) The Corporate Debt Market Development Fund shall not invest in the securities of companies incorporated outside India.

(8) Investment by the Corporate Debt Market Development Fund in any one investee company shall not exceed five percent of its fund capital at the time of investment:

Provided that the combined investment in the corporate debt securities of an issuer group as specified under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 shall not exceed seven and half percent of its fund capital at the time of investment.

Explanation: For the purpose of this sub-regulation, 'fund capital' shall be the aggregate of the corpus of the fund and maximum permissible borrowing as per sub-regulation (9) of this regulation.

(9) The Corporate Debt Market Development Fund may borrow funds up to ten times its corpus, subject to such conditions as may be specified by the Board in consultation with the Government of India.

(10) The valuation procedure and methodology for valuing assets of the Corporate Debt Market Development Fund shall be governed by the norms applicable to Mutual Fund schemes under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(11) In-specie distribution of assets of the Corporate Debt Market Development Fund may be made to the unit holders, only at the time of winding up subject to the consent of seventy-five percent of the unit holders by value of their investment in such fund.

(12) Any material alteration to the investment strategy of the Corporate Debt Market Development Fund shall be with the prior approval of the Board.

Disclosures.

19R. (1) The portfolio of the Corporate Debt Market Development Fund shall be disclosed to the unitholders on a fortnightly basis.

(2) The Net Asset Value of the Corporate Debt Market Development Fund shall be disclosed to the unitholders on a daily basis.

Governance Mechanism for the Corporate Debt Market Development Fund.

19S. (1) The Corporate Debt Market Development Fund shall appoint a trustee company.

(2) The Board of directors of trustee company and the Manager of the Corporate Debt Market Development Fund shall be appointed with the prior approval of the Board.

(3) The roles and responsibilities of the trustee company shall be similar to the roles and responsibilities assigned to trustees under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(4) The trustee company of the Corporate Debt Market Development Fund shall not engage in any activity other than acting as a trustee of the Corporate Debt Market Development Fund, except with the prior written consent of the Board:

Provided that any other activity of the trustee company as permitted by the Board shall not be in conflict with its role as the trustee of the Corporate Debt Market Development Fund.

(5) Two-thirds of the members of the board of directors of the trustee company shall be independent directors and shall not be associated with the Sponsor or the Manager in any manner whatsoever.

(6) No person shall initially or any time thereafter be appointed as a director of the trustee company of the Corporate Debt Market Development Fund without the prior approval of the Board.

(7) An audit committee of the trustee company shall be constituted to review compliance with the provisions of placement memorandum as required under these regulations along with other responsibilities as may be specified by the Board from time to time.

(8) The manager of the Corporate Debt Market Development Fund shall appoint a Governance Committee.

(9) The Governance Committee shall comprise corporate bond market experts including academicians, fund managers or Chief Investment Officers, risk management professionals and independent market experts.

(10) The Governance Committee, jointly with the board of the Manager and trustee company, shall approve the policies of the Corporate Debt Market Development Fund.

(11) The Governance Committee shall supervise the activities of the Corporate Debt Market Development Fund, especially relating to management of conflict of interest, if any.

(12) The Governance Committee shall have oversight on management of asset liability mismatches during times of market dislocation.

Prohibition of Listing.

19T. The units of the Corporate Debt Market Development Fund shall not be listed on any recognised stock exchange.

Others.

19U. (1) The provisions of Chapter III-C of these regulations shall cease to exist upon the winding up of the Corporate Debt Market Development Fund.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of this regulation, the Manager of Corporate Debt Market Development Fund shall continue to be responsible for any liabilities, that may arise out of the mandate in relation to its investment management activities.”

VIII. In regulation 20, after sub-regulation (16), the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

“(17) The Manager shall appoint a Compliance Officer who shall be responsible for monitoring compliance with the provisions of the Act, rules, regulations, notifications, circulars, guidelines, instructions or any other directives issued by the Board.

(18) The Compliance Officer shall satisfy the eligibility criteria as may be specified by the Board from time to time.

(19) The Compliance Officer shall immediately and independently report to the Board any non-compliance observed by him, as soon as possible but not later than seven working days from the date of observing such non-compliance.”

IX. In regulation 23,

i) in sub-regulation (1), after the words “The Alternative Investment Fund shall”, the words “carry out valuation of its investments in the manner specified by the Board from time to time and” shall be inserted;

ii) in sub-regulation (3), after the words “open ended funds”, the symbol “.” shall be replaced with “:” and the following new proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that for the purpose of calculation of NAV, Category III Alternative Investment Funds shall undertake valuation of their investment in unlisted securities and listed debt securities by an independent valuer.”

iii) after sub-regulation (3), the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

“(4) The Manager shall ensure that the Alternative Investment Fund appoints an independent valuer who satisfies the criteria specified by the Board from time to time.

(5) The Manager and the key management personnel of the Manager shall ensure that the independent valuer computes and carries out valuation of the investments of the scheme of the Alternative Investment Fund in the manner specified by the Board from time to time.

(6) The Manager shall be responsible for true and fair valuation of the investments of the scheme of the Alternative Investment Fund:

Provided that in case the established policies and procedures of valuation do not result in fair and appropriate valuation, the Manager shall deviate from the established policies and procedures in order to value the assets or securities at a fair value and document the rationale for such deviation:

Provided further that such deviation and its rationale shall be reported to the trustee or the trustee company or the Board of Directors or designated partners of the Alternative Investment Fund and investors of the Alternative Investment Fund.”

X. In regulation 29,

i) in sub-regulation (7),

- a) the words “one year from the date of intimation under sub-regulation (5) of regulation 29” shall be substituted with “the liquidation period”; and
- b) after the words “in the Alternative Investment Fund”, the words “or the scheme of the Alternative Investment Fund” shall be inserted.

ii) In sub-regulation (8),

- a) the words “in specie distribution of assets of the Alternative Investment Fund” shall be substituted with “in specie distribution of assets of the scheme of the Alternative Investment Fund”;
- b) the words “including on winding up of the Alternative Investment Fund” shall be substituted with “including on winding up of the scheme of the Alternative Investment Fund”; and
- c) the words “after obtaining approval of at least seventy five percent of the investors by value of their investment in the Alternative Investment Fund” shall be substituted with “subject to conditions as may be specified by the Board from time to time”.

iii) after sub-regulation (8), the following new sub-regulation (9) shall be inserted, namely, -

“(9) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (7), during liquidation period of a scheme, an Alternative Investment Fund may distribute investments of a scheme which are not sold due to lack of liquidity, in-specie to the investors or sell such investments to a liquidation scheme, after obtaining approval of at least seventy five percent of the investors by value of their investment in the scheme of the Alternative Investment Fund, in the manner and subject to conditions specified by the Board from time to time:

Provided that in the absence of consent of unit holders for exercising the options under sub-regulation (9) during liquidation period, such investments of the scheme of the Alternative Investment Fund shall be dealt with in the manner as may be specified by the Board from time to time.”

iv) the existing sub-regulation (9) shall be renumbered as (10).

XI. After regulation 29 and before regulation 30, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Liquidation Scheme.

29A. (1) The Alternative Investment Fund may launch a liquidation scheme subject to filing of placement memorandum with the Board.

(2) The requirements under Regulation 10(b), Regulation 10(c), Regulation 12, Regulation 13(1), Regulation 13(2), Regulation 13(4), Regulation 13(5), Regulation 15, Regulation 16, Regulation 17, Regulation 18, Regulation 19L(1), Regulation 19L(2), Regulation 19M, Regulation 29 (7) and Regulation 29 (9) shall not apply to a liquidation scheme of the Alternative Investment Fund.

(3) The placement memorandum of liquidation scheme of the Alternative Investment Fund shall be filed with the Board through a merchant banker along with the fees as specified in the Second Schedule.

(4) The tenure of liquidation scheme of the Alternative Investment Fund shall be determined at the time of filing of placement memorandum with the Board in the manner and subject to conditions as may be specified by the Board.

(5) The tenure of liquidation scheme of the Alternative Investment Fund shall not be extended.

(6) The liquidation scheme of the Alternative Investment Fund shall not accept any fresh commitment from any investor and shall not make any new investment.

(7) The investments of the liquidation scheme of the Alternative Investment Fund which are not sold due to lack of liquidity by the end of its tenure shall be dealt with, in the manner as may be specified by the Board from time to time.”

- XII. In the First Schedule, in Form A, in clause 1, in sub-clause (e), after the words and symbol “Category III Alternative Investment Fund”, the words and symbols “9. Specified Alternative Investment Fund as provided under Regulation 19 of these regulations: Corporate Debt Market Development Fund” shall be inserted.
- XIII. In the Second Schedule, in Part A, after the words and symbols “Registration Fee for Angel Funds - ₹2,00,000”, the words and symbols “Registration fee for Corporate Debt Market Development Fund (specified Alternative Investment Fund as provided under Regulation 19 of these regulations): ₹5,00,000” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./194/2023-24]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (i) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) 9th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
 - (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
 - (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
 - (m) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

- (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
- (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
- (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
- (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
- (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
- (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
- (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
- (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
- (v) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.